भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2894

मंगलवार, 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नवीन औद्योगिक गलियारा

2894. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक में नए औद्योगिक गलियारे विकसित करने या मौजूदा गलियारों का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में चल रही या आगामी औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं, जिसमें वित्तपोषण, अपेक्षित पूर्णता तिथियां और शामिल किए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन गलियारों में निवेश आकर्षित करने और स्थानीय उद्योग, विशेष रूप से विनिर्माण और संभार तंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत, औद्योगिक कॉरिडोरों की परिकल्पना प्लग एंड प्ले सुविधा से युक्त वैश्विक मानकों के अनुरूप विनिर्माण और निवेश केंद्रों को बढ़ावा देने, वॉक-टु-वर्क अवधारणा के साथ स्मार्ट सिटी और मांग से पहले सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली अवसंरचना का निर्माण करने के लिए की गई है। इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य में चेन्नई-बेंगलुरू औद्योगिक कॉरिडोर (सीबीआईसी) के अंतर्गत तुमकुरू नोड को 30 दिसंबर, 2020 को 1,701.81 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत (भूमि लागत सहित) से मुख्य अवसंरचना पैकेज के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने 1668.30

एकड़ भूमि विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) अर्थात् सीबीआईसी तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (टीआईटीएल) को हस्तांतरित कर दी है और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से 586.74 करोड़ रुपए की समान इक्विटी जारी कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 06 फरवरी, 2023 को इसकी आधारशिला रखी गई। सड़कों, छोटे पुल, पुलिया और जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए मुख्य अवसंरचना कार्यों के कार्यान्वयन के वर्ष 2026-27 तक पूरा होने की संभावना है। लक्षित उद्योग क्षेत्रों में खाद्य उत्पाद, वस्त्र और परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और सामान्य इंजीनियरिंग शामिल हैं।

(ग): एनआईसीडीपी के तहत, परियोजना एसपीवी, अनुकूल वित्तीय और नीतिगत उपायों का अनुसरण करके एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों के संभावित निवेशकों को, भू-आबंटन नीति के अनुसार विकसित की गई भूमि आबंटित करते हैं। इसके अलावा, निवेशकों को निम्नानुसार अनेक छूट प्रदान की जाती हैं जो सामान्यत: राज्य-विशिष्ट होती हैं:

i. बड़े/आरंभिक निवेशकों को छूट,

ii. अपफ्रंट भुगतान पर छूट सहित लीज प्रीमियम भुगतान के विभिन्न विकल्प,

iii. विविध दरों पर विविध लीज अवधि के विकल्प,

iv. भूमि प्रीमियम के भुगतान की तारीख का विस्तार,

v. विकास अवधि का विस्तार

*****